राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

[पी]ठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

[राज]स्व वाद सं.– 99 / 2023 जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 401

1. गोकल पुत्र श्री माधाराम जाति नाई निवासी सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0 ....वादी

बनाम

1. केशर पुत्री माधाराम पत्नी भादरराम जाति नाई निवासी बेरावाली ढाणी तन् खरखड़ा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
2. बजरंग पुत्र श्री माधाराम जाति नाई निवासी सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. माडी उर्फ माड़ती पुत्री रामकुवार पत्नी रामकरण जाति नाई निवासी बिसनपुरा पोस्ट पांथड़िया तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं राज0
4. लेण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत– खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णयः दिनांकः– 17.07.2025

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख0 न0 1159 / 494 रकबा 0.14 हैक्टर ख0 न0 483 रकबा 0.16 ख0 न0 523 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.43 हैक्टर में वादी का 4 / 7 हिस्सा प्रति0 [illegible] हिस्सा हैं जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अपना अपना दर्ज [illegible] नुसार बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक काबिज कास्त है मौके [illegible] है जिसके अनुसार वादी अपने 4 / 7 हिस्सा पर काबिज हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:55 IST
Reason: SelfAttested

[उपख]ण्ड अधिकारी
[बु]हाना (झुंझुनूं)

2. यह कि वाद वर्णित भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है तथा संयुक्त खातेदारी की भूमि होने से वादी द्वारा अपना हिस्सा की भूमि पर सुधार कार्य करने, सीमाए कायम करने, ऋण आदि लेने में काफी हक तलफी/परेशानी वादी को हो रही हैं। जिस कारण वादी को अपनी भूमि में सुधार कार्य नही कर पाता हैं एवं अपनी भूमि की पुख्ता सीमाए कायम नही कर पाता हैं जिससे ऐसी वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।
3. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वादी व प्रतिवादीगण की भूमि संयुक्त खातेदारी की होने वादी द्वारा प्रतिवादीगण को खाता विभाजन के लिए कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा वादी का खाता विभाजन नही करवाने एंव अपने हिस्सा से ज्यादा रकबा कास्त करने की धमकी देने से पर पैदा हुआ हैं इसलिए दावा अन्दर मियाद हैं वैसे भी दावा खाता विभाजन के कोई समय सीमा नही है।
4. यह की वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम सावलोद में स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमान जी की हदूद में होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान जी को प्राप्त हैं।
5. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 3 वाद वर्णित भूमि में खातेदार हैं इसलिए आवश्यक पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया गया हैं तथा प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार हैं इसलिए आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।
6. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकार्ड पेश हैं एवं वाद पत्र के समर्थन में वादी का शपथ पत्र पेश है।
7. यह कि वाद पत्र द्वितीय प्रति में पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:—

(क). यह वाके ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख0 न0 1159/494 रकबा 0.14 हैक्टर ख0 न0 483 रकबा 0.16 हैक्टर ख0 न0 523 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.43 हैक्टर में वादी का 4/7 हिस्सा का खाता मौके पर कब्जा कास्त को प्राथमिकता देते हुए अलग—अलग विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर लगान अलग से कायम किये जाने कि कृपा करें।
(ख). कि प्रतिवादी स0 1 लगा0 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि ख0 न0 1159/494 रकबा 0.14 हैक्टर ख0 न0 483 रकबा 0.16 हैक्टर ख0 न0 523 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.43 हैक्टर में वादी की अपनी कब्जे शुदा भूमि 4/7 हिस्सा को कास्त करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करें तथा खेत के सीमाचिन्हों को नष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:55 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना (झुंझुनूं)

नही करे एवं प्रतिवादी स0 1 लगा0 3 अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण करे इस भूमि में खड़े हरे पेड़ो को नही काटे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करवाये।

(ग). कि दावा वादी के विरूद्ध अन्य अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादी को प्रतिवादीगण से दिवाये जाने कि कृपा करे।

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने के पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.09.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 584 दिनांक 29.09.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 3514 दिनांक 20.12.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट ने वकालतनामा / प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी पेश किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा धारा 151 सी.पी.सी व प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी पेश कर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु निवेदन किया। सुना गया पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है। पत्रावली अंतिम स्टेज में है पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अतः बहस, विभाजन प्रस्ताव के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम सावलोद स्थित भूमि हाल खाता संख्या 67 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

(3). दावा वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल नक्शा किश्तवार पेश किए गए।

(4). बहस सुनी गई।

(5). पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः न्यायालय वाद वादी को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
...)

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन व डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः यह वाके ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख0 न0 1159/494 रकबा 0.14 हैक्टर ख0 न0 483 रकबा 0.16 हैक्टर ख0 न0 523 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.43 हैक्टर भूमि में वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 17/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:55 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 99 / 2023 जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 401

गोकल बनाम केशर आदि

दावा बाबत— खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णय:—

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन व डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः यह वाके ग्राम सांवलोद तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के हाल ख0 न0 1159 / 494 रकबा 0.14 हैक्टर ख0 न0 483 रकबा 0.16 हैक्टर ख0 न0 523 रकबा 2.13 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.43 हैक्टर भूमि में वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.06 17:36:55 IST
Reason: SelfAttested

(...वी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर, बुहाना